"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016 — फाल्गुन 25, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2016

आदेश

क्रमांक 2452/685 (55)/21-ब/छ. ग. /2016. — राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रमाकांत चन्द्राकर, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-कुरूद, जिला-धमतरी (छ. ग.) का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-10 (घ) के प्रावधानों के अनुसार उनका नाम, नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप- सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.